

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग


क्रमांक : प.17(3)वित्त/अंकेक्षण/2010

जयपुर, दिनांक 10.08.2020

अधिसूचना

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को महानरेगा, जिला परिषद के लेखों के अंकेक्षण हेतु एतद् द्वारा अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।


आज्ञा से,



(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन शीघ्र राजस्थान के असाधारण राजपत्र में कराने का कष्ट करें।



(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्र)
संयुक्त शासन सचिव